भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 755
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एअर इंडिया बोइंग विमान का सुरक्षा निरीक्षण

755. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में उड़ान भरते समय एअर इंडिया की उड़ान संख्या 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जाँच के प्रारंभिक निष्कर्ष क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में सवार 242 लोगों में से 241 की मृत्यु हो गई, जिसमें इंजन, फ्लैप और लैंडिंग गियर प्रणालियों में पाई गई विशिष्ट तकनीकी खराबी शामिल है;

(ख) विमान के दुर्घटना-पूर्व सुरक्षा निरीक्षण रिकॉर्ड (वीटी - एएनबी) की स्थिति क्या है, जिसमें अंतिम प्रमुख रखरखाव की तिथि, अनिवार्य सुरक्षा जाँचों का अनुपालन और दुर्घटना से 30 दिन पहले रिपोर्ट की गई कोई भी तकनीकी समस्या शामिल है;

(ग) वे कौन से कारण हैं जिनके चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सक्रिय व्यापक जाँच करने के बजाय, विशेष रूप से बोइंग 787 विमान से संबंधित ज्ञात वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, उक्त दुर्घटना के बाद ही एअर इंडिया के संपूर्ण बोइंग 787 बेड़े के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया;

(घ) टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण के बाद से डीजीसीए द्वारा एअर इंडिया के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर क्या निगरानी रखी गई है और कितने सुरक्षा ऑडिट किए गए हैं और कितने उल्लंघनों की पहचान की गई है और कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में विमानन सुरक्षा विनियमों की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किन विशिष्ट नियामक परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है/प्रस्तावित किया जा रहा है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 की दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत अन्वेषण का आदेश दिया गया है।

एएआईबी द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2025 को इस दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह रिपोर्ट उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है।

डीजीसीए विनियमों और विनिर्माता के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार विमान वीटी-एएनबी का नियमित रखरखाव और सुरक्षा निरीक्षण किया गया था। अंतिम प्रमुख रखरखाव जाँच एल1-1 और एल1-2 लाइन रखरखाव जाँच 38504:12 घंटों और 7255 चक्रों पर की गई थी।

पिछली उड़ान (एआई423) के कर्मीदल ने टेक लॉग में स्थिति संदेश एसटीएबी पीओएस एक्सडीसीआर के लिए पायलट दोष रिपोर्ट (पीडीआर) प्रविष्टि दर्ज की थी। एअर इंडिया के ड्यूटी पर तैनात विमान रखरखाव इंजीनियर (एएमई) द्वारा फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल (एफआईएम) के अनुसार ट्रबलशूटिंग की गई। खराबी को ठीक कर दिया गया और विमान को 0640 यूटीसी पर उड़ान के लिए रिलीज कर दिया गया था।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद है अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की नियमित निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित एवं आवधिक ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं।

अहमदाबाद में दिनांक 12.06.2025 को मेसर्स एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 बोइंग 787 विमान की दुर्घटना के पश्चात, दिनांक 13.06.2025 को डीजीसीए ने निवारक उपाय के रूप में मेसर्स एअर इंडिया को डीजीसीए के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वयन में सभी 33 बोइंग 787-8/9 की अतिरिक्त जाँच करने का निर्देश दिया।

डीजीसीए ने मेसर्स एअर इंडिया के 02 विनियामक ऑडिट किए हैं। ऑडिट के दौरान की गई टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई/समापन के लिए प्रचालक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

*****